80

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1463—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21—05—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 08/2012—13/निगरानी

.....

राम सहाय पुत्र श्री चिरोंजीलाल जाटव
निवासी —ग्राम अजनोदा परगना व
तहसील मेंहगांव, जिला—भिण्ड़ म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— शोभाराम पुत्र कामत प्रसाद
निवासी —ग्राम इमलिया परगना
तहसील मेंहगांव, जिला—भिण्ड, म0प्र0

2— राजेश

3— सन्तोष, पुत्रगण शोभाराम
निवासीगण —ग्राम इमलिया परगना व
तहसील मेंहगांव, जिला—भिण्ड, म0प्र0

4— राजकुमारी पत्नी ज्ञान सिंह जाटव
निवासी— ग्राम सेवा का पुरा परगना व
तहसील मेंहगांव, जिला—भिण्ड, म0प्र0

5— सुनीता पत्नी मन्शाराम
निवासी— ग्राम सिमराव, तहसील व जिला—भिण्ड, म0प्र0

6— विश्वनाथ जाटव

7— जैनाथ जाटव

8— मन्शाराम जाटव, पुत्रगण ग्यादीन जाटव
निवासीगण— बड़ेपुरा तहसील अटेर, जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एम0पी0 भटनागर, अभिभाषक, आवेदक
श्री जितेन्द्र त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2010 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी, न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–05–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि आधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेहगांव के समक्ष अनावेदकगण राजेश कुमार, शोभाराम आदि द्वारा मौजा अजनौदा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड की भूमि क्रमांक 827 रकबा 0.50एवं मौजा आलमपुरा की भूमि क्रमांक 30 रकबा 0.89 हैक्टर पर न्यायालय सिविल जज वर्ग 2 मेहगांव के प्रकरण क्रमांक 22 ए /2004 इ0दी0 डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है। जिसका प्रकरण क्रमांक 33/2011–12 अ–6 राजेश कुमार विरूद्ध राम सहाय आदि पर दर्ज है। आधीनस्थ न्यायालय तहसील मेहगांव के उपरोक्त प्रकरण के द्वारा आवेदकगण ने प्रकरण में आपत्ति करते हुए, निवेदन किया था कि प्रकरण में उल्लेखित राजेश कुमार, सन्तोष कुमार पुत्रगण शोभाराम नहीं है तथा अनावेदक क्र0 7 जयनाथ की तामील अवैध रूप से जारी करते हुए भेजकर उसका नाम व पता गलत लिख कर सही तामील न कराते हुए आधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेहगांव के उक्त प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 23.10.2012 को वैजनाथ के नाम की तामील मानकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी, जबकि बैजनाथ नाम का कोई अनावेदक ही नहीं है तथा मन्शाराम, विश्वनाथ द्वारा तामील लेने से इन्कार करना बताते हुए आधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश जारी करते हुए प्रकरण में पुनः आदेश दिया । उस पर आवेदकगण द्वारा पनः आपत्ति करते हुए आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और आपत्ति की गयी कि प्रकरण में अनावेदकगणों पर तामील सही व वैधानिक रूप से नही कराई जा रही है एवं राजेश कुमार आदि की जाति ठाकुर न होकर जाटव जाति के है। इस आपत्ति व निगरानी कर्त्ता के आवेदन पर तहसील न्यायालय मेहगांव द्वारा विचार करते हुए आधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक रूप से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी । उचित न्याय न मिलने की

अशंका से आवेदकगण द्वारा कलेक्टर भिण्ड, के न्यायालय में प्रकरण अंतरित किये जाने का निवेदन दिया गया जो प्र0क्र0 8/12–13/निगरानी में दर्ज होकर दिनांक 18.02.2013 द्वारा स्वीकृत किया गया तथा तहसील न्यायालय को निर्देशित किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना पत्र जारी कर उभयपक्षों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा कलेक्टर, भिण्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया गया और तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित कर प्रकरण कर दिया गया । आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय एवं कलेक्टर के आदेशों के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष संहिता की धारा 32 के तहत आन्तरण का एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें तहसीलदार मेंहगांव के न्यायालय से किसी अन्य समक्ष न्यायालय में प्रकरण को स्थानान्तरण किये जाने का निवेदन किया । अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्र0 08/2012–13/निगरानी पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 21–05–2015 से आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि तहसीलदार ने न्यायालय द्वारा आवेदकगण के निवेदन पर विचार न करते हुये अग्रिम कार्यवाही त्रुटिपूर्ण व अवैध तरीके से किये जाने से अनावेदकगणों की जाति को सही नहीं कर और न ही अनावेदक जयनाथी की तामील सही नाम से न कर प्रकरण में अग्रिम कर्यवाही संचालित किये जाने से प्रकरण में उचित न्याय नहीं होने की पूर्ण सम्भावना है । इस कारण भी प्रकरण को अन्तरण कर किसी समक्ष न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित हैं । अपर आयुक्त द्वारा इन बिन्दूओं पर विचार ही नहीं किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा कलेक्टर, भिण्ड के निर्देशों का पालन ही नहीं किया गया । जबकि कलेक्टर भिण्ड ने अपने आदेश दिनांक 18.02.2013 द्वारा तहसील न्यायालय को निर्देशित किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना पत्र जारी कर उभयपक्षों का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। किन्तु प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया, बल्कि विधि की अवहेलना की गई है । अपर आयुक्त ने भी इन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधि के विपरीत है । ऐसा आदेश कतई भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । फलतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि न्यायालय तहसीलदार मेहगांव के समक्ष अनावेदकगण राजेश कुमार, शोभाराम आदि द्वारा मौजा अजनौदा तहसील मेहगांव जिला–भिण्ड की भूमि क्रमांक 827 रकबा 0.50एवं मौजा आलमपुरा की भूमि क्रमांक 30 रकबा 0.89 हैक्टर पर न्यायालय सिविल जज वर्ग 2 मेहगांव के प्रकरण क्रमांक 22 ए /2004 इ0दी0 डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है। जिसका प्रकरण क्रमांक 33/2011–12 अ–6 राजेश कुमार विरूद्ध राम सहाय आदि पर दर्ज है। आधीनस्थ न्यायालय तहसील मेहगांव के उपरोक्त प्रकरण के द्वारा आवेदकगण ने प्रकरण में आपत्ति करते हुए, निवेदन किया था कि प्रकरण में उल्लेखित राजेश कुमार, सन्तोष कुमार पुत्रगण शोभाराम नहीं है तथा अनावेदक क्र0 7 जयनाथ की तामील अवैध रूप से जारी करते हुए भेजकर उसका नाम व पता गलत लिख कर सही तामील न कराते हुए आधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेहगांव के उक्त प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 23.10.2012 को वैजनाथ के नाम की तामील मानकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी, जबकि बैजनाथ नाम का कोई अनावेदक ही नहीं है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के उचित न्याय न मिलने की अशंका से प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालाय में अंतरित किये जाने का आवेदन–पत्र भी प्रस्तुत किया है । किन्तु आवेदक द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध अंतरण का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत किया था, उनका स्थानान्तरण हो गया । ऐसे में प्रकरण को अंतरित किये जाने की कार्यवाही निर्थक है । इसी स्तर पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है और अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश में तहसील न्यायालय के द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि की है । अतः अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर